

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला -  
भीलवाडा

**::आदेश ::**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मो. का. रेणु व भूअभिलेख निरीक्षक सोनगर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम डुंवार पटवार हल्का मो. का. रेणु तहसील करेड़ा व जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2074-2077 में खाता संख्या 13, 63 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
13	डुंवार	13, 63	कसनी पत्नी रेमरा	कसनी पत्नी रेमरा

**प्रभारी अधिकारी**  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**(उपखण्ड अधिकारी)**  
**करेड़ा, जिला भीलवाडा**

क्रमांक:- न्यायालय/2021/13

दिनांक:- 20/11/2021

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

**प्रभारी अधिकारी**  
**(उपखण्ड अधिकारी)**  
**उपखण्ड अधिकारी**



PP13/2021  
2021/349